भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 77 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2014

विषयः मालदीव गणराज्य को दालों के निर्यात के लिए छूट।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 1.3 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना सं.38 (आरई–2012)/2009–14 दिनांक 25.03.2013 के साथ पठित अधिसूचना सं.15 (आरई–2006)/2004–2009 दिनांक 27.06.2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अधिसूचना सं.15 (आरई–2006)/2004–2009 दिनांक 27.06.2006 के द्वारा दालों के निर्यात पर प्रारंभ में 6 महीने की अवधि के लिए निषेध लगाया गया था और वर्तमान में इसे अधिसूचना सं.38 (आरई–2012)/2009–14 दिनांक 25.03.2013 के द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ा दिया गया है।

3. अब वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि हेतु भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत मालदीव गणराज्य को निर्यात करने हेतु दालों की निम्नलिखित मात्रा की अनुमति दी जा रही है जो कि उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा लगाए गए निषेध का अपवाद हैः

वर्ष	मी. टन में मात्रा
2014–15	87.85
2015–16	96.63
2016–17	106.29

4. दालों की उपर्युक्त मात्रा का निर्यात करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम अलग से एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

5. इस अधिसूचना का प्रभावः

वर्ष 2014–15 से 2016–17 हेतु मालदीव गणराज्य को उपरोक्त पैरा–3 की तालिका में इंगित मात्रा के अनुसार दालों के निर्यात को अनुमत किया गया है।

(मधुसूदन प्रसाद)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/171/59/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)